(21)

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका

रे0 मि0 अपील वाद सं0 02/89 – 90

प्राचार्य संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गुहियाजोरी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

अंचल अधिकारी, जामा.....उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

यह रे0 मि0 अपील वाद सं0 – 02/89 – 90 प्राचार्य संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गुहियाजोरी बनाम् अंचल अधिकारी, जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0 ई0 वाद सं0 – 14/1987 – 88 में पारित आदेश दिनांक – 27.08.87 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुमका अंचल अन्तर्गत मौजा सिमलदुम्मा के दाग सं0 – 11, रकवा – 02 बीघा 10 कट्ठा 04 धूर (दो बीघा दस कट्ठा चार धूर) जमीन सर्वे खतियान में गोचर कहकर दर्ज है को गुहियाजोरी मिशन द्वारा अपनी चाहर दिवारी में मिला लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, जामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक – 27.08.87 को पारित आदेश के द्वारा मिशन को उक्त जमीन से उच्छेदित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद विज्ञ उपायुक्त के न्यायालय, दुमका में दायर किया गया जो इस न्यायालय को दिनांक – 31.03.89 के आदेश द्वारा सुनवाई एवं निष्पादनार्थ प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इनकें द्वारा प्रश्नगत् जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस पर उनका कोई दावा नहीं है। प्रश्नगत जमीन पूर्व स्वरूप में ही है। गोचर जमीन दाग सं0 – 11 विद्यालय के जमीन के बीच में है। इस जमीन के चारों ओर विद्यालय की जमीन है एवं इसी पर विद्यालय द्वारा चहारदीवारी का निर्माण करवाया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी अंचल अधिकारी की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके ओर से कहा गया कि दाग सं0 – 11 गोचर भूमि है जिस को मिशन द्वारा चाहरदीवारी के द्वारा घेर कर अतिक्रमण किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अनुलग्नक अनुरेख नक्शा का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मिशन द्वारा चाहरदीवारी से घेरा गया दागों को लाल स्याही से दर्शाया गया है। गोचर दाग सं0 – 11 के ठीक सटा हुआ दाग सं0 – 41 है जो चाहरदीवार से बाहर है।। यह दाग जमाबंदी जमीन है एवं लेदम राय वगैरह के पुर्वजों के नाम से दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का यह कथन गोचर दाग सं0 – 11 मिशन के जमीन के बीच में है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता है।

अनुरेख नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जान बुझकर गोचर दाग को चाहरदीवारी से घेरा गया है चुंकि उक्त दाग से सटा दाग सं0

– 41 बिलकुल ही चाहरदीवारी से बाहर है दाग सं0 – 3, 10, 8/P, 12 एवं 29/P के सीमा पर से अपीलकर्त्ता द्वारा चाहरदीवारी का (निर्माण किया) जा सकता था, किन्तु उनके द्वारा दाग सं0 – 41 की सीमा पर चाहरदीवारी देकर उक्त गोचर को अतिक्रमण किया गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित उच्छेदन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है और उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा दिनांक – 27.08.1987 को पारित किए गए उच्छेदन आदेश का अनुपालन कराया जाय।

DB 03
दि० 17/7/2020

लेखापित एवं संशोधित

03/07/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

03/07/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2023.03.27 10:55:37 +05:30
Location: 10.93.16.27